

कार्यालय-निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक:शिविरा/मा/माध्य/मा-द/अंग्रेजी माध्यम/प्रवेश/ 66181/2022-23/02360

दिनांक:यथा हस्ताक्षर

मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी
एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक,
समग्र शिक्षा (समस्त जिले)।

संस्था प्रधान,
महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय (अंग्रेजी
माध्यम)/
राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय (संबंधित)।

विषय:- महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय (अंग्रेजी माध्यम)/राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में कक्षा 11 में प्रवेश कार्य संचालन सत्र 2025-26 के सम्बन्ध में।

प्रसंग:- शासन उप सचिव शिक्षा (गुप-1) विभाग जयपुर का पत्रांक F. 4(12) EDU-1 MGGS FACULTY And SUBJECT 2024-25212 दिनांक 30.06.25 एवं इस कार्यालय का पत्रांक शिविरा/माध्य/म.गा.अनु./संकाय/61092/2022-23/ई-फाईल 02981 दिनांक 02.07.2025।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख हैं कि ऐसे महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय (अंग्रेजी माध्यम)/राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय (970 विद्यालय) जिनमें शासन के प्रासंगिक पत्र से प्राप्त स्वीकृति के क्रम में सत्र 2025-26 में कक्षा 11वीं का संचालन अंग्रेजी माध्यम में प्रारम्भ किया जाना है, में कक्षा 11 में नवीन प्रवेश प्रक्रिया/कार्य प्रारम्भ करने हेतु समय-सारणी निम्नानुसार प्रेषित की जा रही है। उक्तानुसार प्रवेश हेतु विद्यार्थियों/अभिभावकों से आवेदन पत्र, ऑनलाईन (शालादर्पण/क्यू आर कोड माध्यम) भरवाया जाकर लॉटरी, ऑनलाईन प्रक्रिया द्वारा सम्पादित कर प्रवेश किया जाना है। प्रवेश के संबंध में दिशा-निर्देश संलग्न किये जा रहे हैं।

प्रवेश कार्यक्रम का क्षेत्राधिकार में अधिकाधिक प्रचार-प्रसार करावें।

क्र.सं.	कार्यक्रम का विवरण	निर्धारित तिथि/समयावधि
1	विज्ञप्ति जारी करना	11.07.2025
2	प्रवेश हेतु आवेदन पत्र लेने की समयावधि	12.07.25 से 16.07.25
3	प्रवेश हेतु प्राप्त आवेदनों की सूची व कक्षावार रिक्तियों की सूचना नोटिस बोर्ड पर चस्पा करना	17.07.25
4	लॉटरी निकालने की तिथि	18.07.25
5	लॉटरी के माध्यम से चयनित विद्यार्थियों की सूची विद्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करना।	19.07.25
6	प्रवेश कार्य	21.07.25 से

(सीताराम जाट)

आई.ए.एस.

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर एवं पदेन
अति. राज्य परि. निदेशक(वरिष्ठ)
समग्र शिक्षा अभियान(समसा)

क्रमांक:शिविरा/मा/माध्य/मा-द/अंग्रेजी माध्यम/प्रवेश/ 66181/2022-23/02360 दिनांक:यथा

हस्ताक्षर

प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं :-

- विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री, राजस्थान सरकार।
- निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- निजी सचिव, राज्य परियोजना निदेशक एवं आयुक्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर।
- निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा एवं पंचायती राज (प्राशि), राजस्थान, बीकानेर।

5. शासन उप सचिव-प्रथम, शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (NIC), शिक्षा संकुल, जयपुर।
7. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा (समस्त सम्भाग)।
8. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा (समस्त जिले)।
9. अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा (समस्त जिले)।
10. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं पदेन बी.आर.सी.एफ., समग्र शिक्षा (समस्त ब्लॉक)।
11. उपनिदेशक, शाला दर्पण, रा.स्कूल शि.प., जयपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
12. सहायक निदेशक, शाला दर्पण प्रकोष्ठ मा.शि./प्रा.शि. राजस्थान, बीकानेर को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
13. सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
14. वरिष्ठ सम्पादक 'शिविरा', प्रकाशन अनुभाग, कार्यालय हाजा।
15. स्टाफ ऑफिसर, कार्यालय हाजा।
16. रक्षित पत्रावली।

उपनिदेशक
(महात्मा गांधी विद्यालय)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

कार्यालय-निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

:: महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय (अंग्रेजी माध्यम) / राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में प्रथम बार कक्षा 11 में प्रवेश हेतु दिशा-निर्देश ::

1. महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय (अंग्रेजी माध्यम) / राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय जिनमें सत्र 2025-26 के लिये कक्षा 11वीं का संचालन अंग्रेजी माध्यम में प्रारम्भ किया जाना है, में नवीन प्रवेश का कार्य दिनांक 11.07.2025 से प्रारम्भ किया जाना है।
2. महात्मा गांधी राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों / राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए RTE के मानकों के अनुरूप सैक्शन निर्धारित किये गये हैं। कक्षा 11 में 60 विद्यार्थी प्रति सैक्शन निर्धारित रहेंगे। साथ ही विद्यार्थियों को प्रवेश दिये जाने के संबंध में **इस कार्यालय के आदेश दिनांक 21.07.2024 की पूर्ण पालना सुनिश्चित की जावे।**
3. राज्य सरकार के आदेश क्रमांक पं.4(15) शिक्षा-1/2022 जयपुर दिनांक 16.07.2022 की पालना में भामाशाह द्वारा गोद लेकर 50 लाख रुपये से अधिक राशि के कार्य करवाए गए हैं अथवा सम्पूर्ण विद्यालय भवन निर्मित कर जिसमें 50 लाख रुपये से अधिक राशि का व्यय हुआ है, दान दिया गया है। ऐसे भामाशाहों की अभिशंषा पर संबंधित विद्यालय की प्रत्येक कक्षा में अधिकतम 2 एवं सम्पूर्ण विद्यालय में प्रतिवर्ष अधिकतम 10 विद्यार्थियों को प्रवेश दिए जाने हेतु प्रवेश कोटा निर्धारित किया गया है। यह कोटा उक्त विद्यालयों में संचालित कक्षाओं की निर्धारित सीटों के अतिरिक्त सीटों के लिए होगा।
4. इन विद्यालयों में प्रति सैक्शन निर्धारित सीटों व उपरोक्तानुसार (क्र.स-3) के अतिरिक्त किसी भी प्रकार के कोटे का प्रावधान नहीं रखा गया है।
5. प्रवेश सम्बन्धी कार्य पूर्ण निष्पक्षता एवं पारदर्शिता से निष्पादित करवाये जाने हेतु सम्पूर्ण उत्तरदायित्व संबंधित प्रधानाचार्य का होगा जहाँ प्रधानाचार्य नहीं है, वहाँ वर्तमान पीईईओ/यूसीईईओ/संस्था प्रधान उक्त कार्य करेंगे।
6. महात्मा गांधी राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों / राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में सत्र 2025-26 के लिए उक्त कार्यवाही हेतु जिला स्तर पर जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा कार्यालय में पदस्थापित अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी (शैक्षिक प्रकोष्ठ) नोडल अधिकारी होंगे तथा ब्लॉक स्तर पर मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में पदस्थापित अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी द्वितीय (ACBEO-II) नोडल अधिकारी होंगे, जिनकी देखरेख में प्रवेश कार्य सम्पादित किया जाएगा। मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी द्वितीय का पद रिक्त होने की स्थिति में यह कार्य सन्दर्भ व्यक्ति (आर.पी.) द्वितीय करेंगे।
7. आवेदन पत्र ऑनलाईन (शालादर्पण पोर्टल/क्यू आर कोड माध्यम) भरवाये जाकर लॉटरी प्रक्रिया ऑनलाईन संपादित कर क्रमवार वरीयता सूची तैयार की जायेगी, जिसे संलग्न समय-सारणी के अनुसार विद्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा किया जायेगा, जिससे भविष्य में रिक्त होने वाली सीटों को पूर्ण पारदर्शिता से भरा जा सके।

(सीताराम जाट)

आई.ए.एस.

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर एवं पदेन
अति. राज्य परि. निदेशक(वरिष्ठ)
समग्र शिक्षा अभियान(समसा)